

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 19 सितम्बर, 2016

विषय: प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं में वितरित किए जाने वाले प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के अन्तर्गत आर0 टी0जी0एस0 के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में प्रमाणित बीजों के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शासनादेश संख्या: 13/2015/2580/12-2-2016-बजट.5/2012 दिनांक 17 अगस्त, 2015 एवं शासनादेश संख्या: 3904/12-2-2015-बजट.5/2012 दिनांक 27 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रदेश में संचालित योजनाओं में वितरित किए जाने वाले प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। योजनान्तर्गत शासनादेश में निहित व्यवस्था/प्राविधानों के अन्तर्गत रबी 2016-17 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदर्शन/सामान्य वितरण इत्यादि कार्यक्रमों में प्रयुक्त प्रमाणित बीजों पर अनुमन्य अनुदान गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी डी0बी0टी0 प्रक्रिया के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे स्थानान्तरित किया जायेगा। अतः रबी सत्र 2016-17 के दौरान विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के वितरण पर कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीज सरकारी/अर्द्धसरकारी/सरकारी संस्थाओं यथा कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, यू0पी0स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, इफको, कृभको, राष्ट्रीय बीज निगम, उत्तराखण्ड तराई बीज विकास निगम आदि के बीज संबंधित विक्रय केन्द्रों के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे। मात्र उन्ही बीज विक्रय केन्द्रों से अनुदानित बीज वितरण की व्यवस्था की जायेगी जिनके द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। निजी बीज विक्रेताओं के माध्यम से अनुदानित बीज वितरण का कार्य नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में 5 से 10 विक्रय केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी जहाँ से कृषक अपनी इच्छानुसार प्रमाणित बीज क्रय कर सकेंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत विक्रय केन्द्रों का चयन एवं निर्धारण कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जायेगा। कृषकों द्वारा कई बार एक से अधिक फसलों/प्रजातियों का बीज भी क्रय किया जाता है। अतः उन्हें यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थापित किए गए किसी भी विक्रय केन्द्र से प्रमाणित बीज का क्रय कर सकेंगे। किसी भी कृषक को अधिकतम 02 हेक्टेयर की सीमा तक के लिए ही अनुदान पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रमाणित बीज को एक कृषक के द्वारा 03 वर्ष तक प्रयोग में लाया जा सकता है। अतः जिन कृषकों को रबी 2015 में प्रमाणित बीज पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है उन्हें रबी 2018 में ही अगली बार प्रमाणित बीज पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसा करने से अधिक से अधिक कृषकों को वर्षानुवर्ष सरकार की योजना का लाभ होगा तथा प्रदेश में उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी।

(4) प्रमाणित बीजों के लिए पंजीकृत कृषकों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर निर्धारित विक्रय केन्द्रों से बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिन कृषकों के द्वारा अपना पंजीकरण पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है और उनके द्वारा गत वर्ष प्रमाणित बीज पर अनुदान की सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं हुई है उन्हें रबी 2016-17 में अनुदान पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु पुनः पंजीकरण करवाने अथवा विकल्प देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें स्वतः ही प्रमाणित बीजों हेतु अर्ह मान लिया जायेगा तथा रबी 2016 के लिए उनका विकल्प विभाग के द्वारा ही पोर्टल पर इंगित कर दिया जायेगा किन्तु जिन कृषकों ने अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, खतौनी एवं बैंक खाते की प्रति उपलब्ध नहीं करायी है, ऐसे कृषकों को पुनः सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के पश्चात ही अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) जिन कृषकों ने अभी तक पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं कराया है उनका पंजीकरण दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक लगातार चलता रहेगा। अपंजीकृत कृषक इस दौरान अपना पंजीकरण उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर फार्म भर कर पंजीकरण करा सकेंगे। उक्त के अतिरिक्त कृषक लोकवाणी/जन सुविधा केन्द्र/साइबर कैफे से भी अपना पंजीकरण करा सकेंगे किन्तु कृषकों को अपने आवश्यक दस्तावेज विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। पंजीकरण की तिथियों में कृषकों की आवश्यकता के अनुसार शासन स्तर पर संशोधन किया जा सकेगा।

(7) पंजीकृत कृषकों को विक्रय केन्द्र पर पहुंचते ही निर्धारित प्रारूप पर अपना विवरण अंकित करना करना होगा। इसके पश्चात कृषकों को उनकी इच्छानुसार प्रमाणित बीज

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपलब्ध करा दिया जायेगा। कृषकों के द्वारा पूरा मूल्य देकर बीज का क्रय किया जायेगा तथा अनुदान की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) सुनिश्चित करने हेतु भेज दी जायेगा।

(8) शासनादेश संख्या: 3904/12-2-2015-बजट.5/2012 दिनांक 27 नवम्बर, 2015 में निहित व्यवस्था/प्राविधानों के अन्तर्गत रबी 2016-17 में जो इच्छुक/आर्थिक रूप से कमजोर किसान बीज का पूरा मूल्य नहीं दे सकते, उन्हें अनुदान घटाकर बीज दिया जाये किन्तु उस अनुदान की धनराशि का पोस्ट-डेटेड चेक एक माह की आगे की तिथि का संबंधित जनपद के सचिव, आत्मा/उप कृषि निदेशक के नाम एवं वायदा प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा तथा किसान के खाते में अनुदान की धनराशि स्थानान्तरित होने के पश्चात सचिव, आत्मा/उप कृषि निदेशक के खाते में पोस्ट-डेटेड चेक की धनराशि को जमा किया जायेगा। तदोपरान्त सचिव, आत्मा/उप कृषि निदेशक के खाते से संबंधित धनराशि का आहरण कर राजकोष में जमा कराया जायेगा। यदि कृषक द्वारा अपने खाते से समस्त धनराशि आहरित कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में जमा किए गए चेक की धनराशि का रिलाईजेशन नहीं हो सकेगा। परिणामस्वरूप कोषागार में उस कृषक की धनराशि जमा नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। अन्य राजकीय/अर्द्धसरकारी/सहकारी संस्थायें इसी प्रकार इच्छुक/आर्थिक रूप से कमजोर किसानों से वायदा प्रपत्र तथा पोस्ट-डेटेड चेक संबंधित संस्था के प्राप्ति खाताधारक के नाम प्राप्त करेगी तथा अनुदान की धनराशि किसान के खाते में स्थानान्तरित होने के पश्चात अपने संग्रह खाते में जमा करेंगी।

(9) अनुदान की धनराशि कृषकों के बैंक खाते में भेजने हेतु अधिकतम 15 दिन का समय लिया जायेगा। अनुदान का बिल कोषागार में प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बीज विक्रय केन्द्र से विक्रय किए गए बीजों के मूल्य की धनराशि कोषागार में जमा करायी जा चुकी है।

(10) विक्रय केन्द्रों के द्वारा रसीद तीन प्रतियों में बनायी जायेगी जिनमें से एक प्रति कृषक को उपलब्ध करा दी जायेगी। रसीद की दूसरी प्रति कृषक के द्वारा भरे गये फार्म एवं दिन भर के कृषकों की सूची के साथ अगले दिन कृषि विभाग के बीज गोदाम प्रभारी को उपलब्ध करा दी जायेगी। अन्य एजेन्सियों द्वारा विकास खण्ड स्तर पर डी0बी0टी0 का कार्य सुचारू-रूप से सम्पन्न करने में सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार अपने स्टाफ की सेवार्यें भी समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) बीज विक्रय की संकलित रिपोर्ट प्रतिदिन सांयकाल संबंधित जिला कृषि अधिकारी उप कृषि निदेशक, मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक को प्रेषित करेंगे तथा मण्डल स्तर पर संकलित रिपोर्ट कृषि निदेशालय के बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग को प्रत्येक दिन विभागीय मेल [ada_sf/ adaseedandfarmlko@gmail.com](mailto:ada_sf/adaseedandfarmlko@gmail.com) अथवा 0522-2205863 पर फैक्स के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

(12) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न फसलों का प्रदर्शन कार्यक्रम में कृषि विभाग की देख-रेख में वैज्ञानिक पद्धति से खेती करायी जाती है ताकि उन्नत तकनीक का कृषकों के मध्य प्रदर्शन हो सके। प्रदर्शन में सम्मिलित किए जाने वाले कृषकों हेतु बीज की व्यवस्था भी उपरोक्तानुसार डी0बी0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से की जायेगी। इसका कार्यान्वयन जनपद के उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त जनपदों के विकास खण्ड स्थित बीज विक्रय केन्द्रों से गेहूँ के प्रमाणित बीजों का विक्रय दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 के मध्य कराया जायेगा। अन्य फसलों के प्रमाणित बीजों का वितरण समयानुसार प्रारम्भ कराया जायेगा। पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत पूर्व पंजीकृत समस्त कृषक, जिनका गत वर्ष बीज पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, वे कृषक रबी 2016-17 में अनुदान पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु स्वतः पात्र माने जायेंगे। वर्तमान में चलाया जा रहा पंजीकरण दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक लगातार चलता रहेगा।

3. प्रमाणित बीज के पंजीकरण एवं वितरण के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा तथा अन्य सभी माध्यमों यथा पम्फलेट, केबल टी0वी0, गोष्ठियों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृषकों के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ बीज वितरण कार्यक्रम क्रियान्वित कराया जाये।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)

प्रमुख सचिव।

संख्या: 31/2016/2357 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग/सहकारिता विभाग/वित्त विभाग तथा नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/पी०सी०एफ०/यू०पी०स्टेट एगो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०/इफको तथा कृभको, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम/उत्तराखण्ड तराई बीज विकास निगम, पन्तनगर, पो०-हल्द्वी, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त परियोजना अधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
16. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।